Helpline 1064 | Whatsapp 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अलवर में जयपुर डिस्कॉम के दो तकनीकी सहायक 5 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *25 जनवरी।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर अलवर इकाई द्वारा आज मंगलवार को कार्यवाही करते हुये केशव देव जाटव तकनीकी सहायक ग्रेड–द्वितीय, फीडर प्रभारी, खेड़ली एवं प्रमोद कुमार बैरवा तकनीकी सहायक ग्रेड–द्वितीय, सहायक स्टोर कीपर, कार्यालय सहायक अभियन्ता, (पवस) जयपुर डिस्कॉम, खेड़ली, जिला अलवर को परिवादी से 5 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की अलवर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विद्युत कनेक्शन के विरूद्ध विद्युत चोरी की वी.सी.आर. भरने की धमकी देकर केशव देव जाटव तकनीकी सहायक ग्रेड–द्वितीय, फीडर प्रभारी, खेड़ली एवं प्रमोद कुमार बैरवा तकनीकी सहायक ग्रेड–द्वितीय, सहायक स्टोर कीपर, कार्यालय सहायक अभियन्ता, (पवस) जयपुर डिस्कॉम, खेड़ली, जिला अलवर द्वारा 10 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी अलवर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री प्रेमचन्द** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये केशव देव जाटव पुत्र श्री रामसिंह जाटव निवासी बड़ा मौहल्ला, तहसील व पुलिस थाना भुसावर, जिला भरतपुर हाल तकनीकी सहायक ग्रेड–द्वितीय, फीडर प्रभारी, खेड़ली एवं प्रमोद कुमार बैरवा पुत्र श्री कपूर चन्द बैरवा निवासी वार्ड नं0 19, खेड़ली–कठूमर बाईपास, तहसील व थाना खेड़ली, जिला अलवर हाल तकनीकी सहायक ग्रेड–द्वितीय, सहायक स्टोर कीपर, कार्यालय सहायक अभियन्ता, (पवस) जयपुर डिस्कॉम, खेड़ली, जिला अलवर को परिवादी से 5 **हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।